

राजस्थान सरकार  
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :लेखा / बैठक / 2011 / 2607

दिनांक : 18. 8. 2011

सहायक लेखाधिकारियों की मासिक बैठक दिनांक 12-08-2011 का कार्यवाही विवरण

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर के अधीनस्थ कार्यालय, संयुक्त निदेशक जौन तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालयों में परवर्षाधिकारी सहायक लेखाधिकारियों / लेखाकर्मियों की मासिक बैठक दिनांक 12-08-2011 को वित्तीय सलाहकार की अध्यक्षता में निदेशालय सभागार में आयोजित की गयी।

उपस्थित अधिकारियों / कार्मिकों की सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है जिन स०ले००३० ने बैठक में भाग नहीं लिया उनको कारण बताओं नोटिस वरिष्ठ लेखाधिकारी (अंकेक्षण) द्वारा जारी किया जावेंगा। बैठक में निम्नांकित बिन्दुओं पर विचार-विमर्श पश्चात् निर्णय लिये गये :-

| क्र.सं. | बिन्दु जिस पर चर्चा हुई  | निर्णय लिया गया   | अनुपालना जिसके द्वारा की जानी है   |
|---------|--|---|--|
| 1       | बकाया दावों का तीन माह में निस्तारण।   | <p>वित्त विभाग द्वारा बजट घोषणा के क्रम में चालू वित्त वर्ष में बकाया दायित्वों (दावों) को अभियान चलाया जाकर आगामी तीन माह 16.08.11 से 15.11.11 तक में निपटाया जाना है। इस हेतु समस्त कार्यालयों के सम्बन्ध में बकाया दायित्वों की सूचना चाहीं गयी थी। अधिकांशतः सूचना प्राप्त हो गई है।</p> <p>निदेशक महोदय के पत्रांक 2382 दिनांक 3.08.11 के अनुसार बकाया दावों के निस्तारण हेतु एक कन्ट्रोल रजिस्टर संधारित किया जाकर संयुक्त निदेशक कार्यालय एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालयों द्वारा अपने-अपने अधीनस्थ कार्यालयों की संकलित सूचना निर्धारित प्रपत्र में प्रति सप्ताह (शुक्रवार को) फैक्स नं० 0141-2225334 पर प्रेषित करेंगे। साथ ही प्रथम मासिक सूचना दिनांक 16.09.2011 की बैठक में आवश्यक रूप से साथ लायेंगे। सूचनाएं समय पर नहीं भिजवाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही आवश्यक रूप से की जायेगी। अभियान के दौरान सभी लम्बित दावों का निस्तारण आवश्यक रूप से होना है।</p> <p>बकाया दावों में यात्रा भत्ता भत्ता पानी बिजली एवं अन्य राजकीय दावों रामिलित नहीं है। उपलब्ध बजट प्रावधान में से प्राथमिकता के आधार पर बकाया दावों का निपटारा कराया जावे जिरामे नियमों की पालना सुनिश्चित की जावे। बकाया दावों के सम्बन्ध में अतिरिक्त बजट की आवश्यकता हो तो तत्सम्बन्धी प्रस्ताव अविलम्ब भिजवाये जावे।</p> <p>निर्धारित समयावधि के पश्चात् भी यदि कोई दावा शेष रहता है तो सम्बन्धित नियम्रण अधिकारी इसके लिये व्यवितरण: जिम्मेदार होगे।</p> | <p>सम्बन्धित सहायक लेखाधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी / संयुक्त निदेशक-जौन</p> |
| 2       | स्वीकृत पदों एवं वाहनों की सूचना।  | <p>विभाग के पत्रांक 1354 दिनांक 29.06.11 एवं 2444 दिनांक 12.08.11 द्वारा चाहीं गयी स्वीकृत पदों/वाहनों की सूचना निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त नहीं हुयी है। बजट मदवार समस्त स्वीकृत पदों की सूचना का प्रमाणन/सत्यापन अतिरिक्त निदेशक (राजपत्रित/प्रशासन) मु० से दिनांक 17.08.11 से 19.08.11 तक करवाया जाकर प्रेषित करावें। स्वीकृत पदों के पदनाम जो राजस्थान सिविल सेवा (पुनर्निकृत वेतन) नियम 2008 में अंकित हैं वे तो दर्शाये जाने हीं हैं। इसके अतिरिक्त यदि कोई पदनाम आपके कार्यालयों में रवीकृत है परन्तु इन नियमों में सम्मिलित नहीं हुआ हो तो, उसे शामिल कराने के प्रस्ताव अतिरिक्त निदेशक (राजपत्रित/प्रशासन) को भिजवाया जाकर सूचित किया जावे।</p>  | <p>सम्बन्धित सहायक लेखाधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी / संयुक्त निदेशक-जौन</p> |
| 3       | जांच प्रतिवेदनों के बकाया आक्षेपों की अनुपालना भिजवाने बाबत।                 | <p>महालेखाकार, आन्तरिक जांच/निरीक्षण विभाग के बकाया आक्षेपों की बकाया अनुपालनाएं सम्बन्धित से प्राप्त कर दिनांक 16-09-11 को सहा. लेखाधिकारियों की मीटिंग में साथ लेकर आवें।</p>   | <p>सम्बन्धित सहायक लेखाधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी / संयुक्त निदेशक-जौन</p> |
| 4       | एन.आर.एच.एम. योजना से समस्त सहायक लेखाधिकारियों का लेपटॉप उपलब्ध कराने बाबत। | समस्त सहायक लेखाधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा सभी योजनाओं के सम्बन्ध में वित्तीय मोनेटरिंग को जाती है जिसे प्रभावी बनाने के लिए एन.आर.एच.एम. योजना से एक-एक लेपटॉप दिलाया जावे।   | वरिष्ठ लेखाधिकारी (ऑफिट)   |

| क्र.सं. | बिन्दु जिस पर<br>चर्चा हुई  | निर्णय लिया गया   | अनुपालना जिसके द्वारा<br>की जानी है  |
|---------|---|---|--|
| 5       | महालेखाकार<br>निरीक्षण<br>प्रतिवेदनों की<br>बकाया प्रथम<br>अनुपालनाएं<br>भिजवाने बाबत | महालेखाकार प्रतिवेदनों से सम्बन्धित बकाया प्रथम अनुपालनाओं की सूची बैठक में उपलब्ध करा दी गयी थी तथा निर्देशित किया गया कि उक्त बकाया अनुपालनायें दिनांक 19.08.11 तक निदेशालय में वरिष्ठ लेखाधिकारी(ऑडिट) / सहा. लेखाधिकारी(ऑडिट) को व्यक्तिशः उपलब्ध करायी जावें। इसके अतिरिक्त और भी प्रथम अनुपालनाएं बकाया हो तो वह भी उपलब्ध करावें।  | सम्बन्धित सहायक<br>लेखाधिकारी कार्यालय<br>मुख्य चिकित्सा एवं<br>स्वास्थ्य<br>अधिकारी / संयुक्त<br>निदेशक—जोन |
| 6       | वर्ष 2011-12 में<br>निस्तारण योग्य<br>सामग्री / नकारा<br>वाहनों की सूचना              | आगामी बैठक में माह अगस्त 2011 तक अनुपयोगी सामग्री / नकारा वाहनों के निस्तारण सम्बन्धी प्रगति की जिलेवार समीक्षा की जावेगी। अतः इस सम्बन्ध में वांछित सूचनाओं एवं पूर्ण तथ्यों सहित बैठक में भाग लेवे।   | सम्बन्धित सहायक<br>लेखाधिकारी कार्यालय<br>मुख्य चिकित्सा एवं<br>स्वास्थ्य<br>अधिकारी / संयुक्त<br>निदेशक—जोन |
| 7       | मासिक व्यय<br>विवरण मानचित्रों<br>में पायी गयी<br>कमियों के<br>सम्बन्ध में।           | चिकित्सा विभाग के नियंत्रणाधीन कार्यालयों से प्राप्त माह अप्रैल, 2011 के मासिक व्यय विवरण गानचित्रों के परीक्षण पर कमियां पायी जाने पर पत्रांक ए-4( )लेखा / अंकमिलान / 11 / 1170 दिनांक 17.06.11 द्वारा कमियों को दुरस्त करने हेतु दिशा—निर्देश जारी किये गये थे। भविष्य में भिजवायी जाने वाले व्यय विवरण मानचित्र जारी निर्देशानुरूप नय कमियों की पूर्ति के भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।                   | सम्बन्धित सहायक<br>लेखाधिकारी कार्यालय<br>मुख्य चिकित्सा एवं<br>स्वास्थ्य<br>अधिकारी / संयुक्त<br>निदेशक—जोन |
| 8       | एन.आर.एच.एम.<br>का अंकेक्षण   | विभागीय जांच दलों द्वारा विभाग के लेखों के साथ—साथ एन.आर.एच.एम. लेखों का अंकेक्षण कार्य भी किया जा रहा है कतिपय मामलों में एन.आर.एच.एम. लेखों के रेकार्ड प्राप्ति में जांच दलों को कुछ परेशानी आयी है अतः यह सुनिश्चित कराया जावे कि जांच दलों को एन.आर.एच.एम. लेखों का रेकार्ड समय पर उपलब्ध हो जावे।  | सम्बन्धित सहायक<br>लेखाधिकारी कार्यालय<br>मुख्य चिकित्सा एवं<br>स्वास्थ्य<br>अधिकारी / संयुक्त<br>निदेशक—जोन |
| 9       | चोरी/गबन के<br>मामले।   | गत बैठकों में दिये गये निर्देशों के क्रम में चोरी/गबन के मामलों में शीघ्र वसूली एवं अपेक्षित कार्यवाही पूर्ण करा समर्त लम्बित गबन/चोरी प्रकरणों की केसवार चयीनताम विन्दुगाम सूचना (जिन कार्यालयों की प्राप्त नहीं हुई है।) निर्धारित प्रपत्र में उपलब्ध करावें।   | सम्बन्धित सहायक<br>लेखाधिकारी कार्यालय<br>मुख्य चिकित्सा एवं<br>स्वास्थ्य<br>अधिकारी / संयुक्त<br>निदेशक—जोन |
| 10      | प्रपत्र 1 से 8<br>तक की सूचना   | जोन कार्यालयों द्वारा प्रपत्र 1 से 8 तक की मासिक सूचना जोन रत्तर पर समेकित कर आगामी बैठक में उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित किया जावें।   | सम्बन्धित सहायक<br>लेखाधिकारी कार्यालय<br>मुख्य चिकित्सा एवं<br>स्वास्थ्य<br>अधिकारी / संयुक्त<br>निदेशक—जोन |
| 11      | स्टॉक एवं स्टोर<br>लेखें।   | भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र तथा स्टॉक एवं स्टोर लेखे जोन कार्यालय रत्तर पर समेकित कर निदेशालय में भिजवाये कुछ जोन कार्यालयों से भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र एवं स्टॉक एवं स्टोर लेखें अभी तक अप्राप्त है। अतः बकाया प्रमाण पत्र एवं लेखें दिनांक 30.08.11 तक वाहक रत्तर पर भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। यह अतिआवश्यक है जिनके द्वारा प्रेषित नहीं किये जायेंगे उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अपेक्षित है। | सम्बन्धित सहायक<br>लेखाधिकारी कार्यालय<br>मुख्य चिकित्सा एवं<br>स्वास्थ्य<br>अधिकारी / संयुक्त<br>निदेशक—जोन |
| 12      | आन्तरिक जांच<br>के बकाया आक्षेप<br>निस्तारण<br>अभियान।                                | आन्तरिक जांच प्रतिवेदनों के बकाया आक्षेपों के निस्तारण हेतु अभियान के क्रम में आगामी माह में निदेशालय में जिलेवार कैम्प रखा जाकर कैम्प में ही आक्षेपों का निरतारण किया जावेगा। अतः सभी जिलों में कैम्प पूर्व तैयारी सुनिश्चित की जावे एवं कैम्प में ठोस एवं तथ्यात्मक अनुपालनाएं प्ररतुत की जावे। कैम्प की तिथियां अलग से सूचित की जा रही हैं।  | सम्बन्धित सहायक<br>लेखाधिकारी कार्यालय<br>मुख्य चिकित्सा एवं<br>स्वास्थ्य<br>अधिकारी / संयुक्त<br>निदेशक—जोन |

बैठक में दिये गये उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावें। अवहेलना पाये जाने पर सम्बन्धित कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध सी.सी.ए. नियमों के तहत कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जावेगी जिसके लिये वे स्वयं उत्तरदायी होंगे।

आगामी बैठक दिनांक 16-09-2011 को आयोजित की जावेगी। बैठक का वरिष्ठ लेखाधिकारी ने धन्यवाद ज्ञापित कर समापन किया।

वरिष्ठ लेखाधिकारी (ऑडिट)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज0 जयपुर।
2. अतिऽ निदेशक (राजपत्रित/अराजपत्रित) मुख्यालय।
3. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन।
4. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी। कृपया बैठक कार्यवाही विवरण के अनुसार समयबद्ध कार्यवाही होना सुनिश्चित करावें।
5. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी। कृपया बैठक कार्यवाही विवरण के अनुसार समयबद्ध कार्यवाही होना सुनिश्चित करावें।
6. निजी सहायक, निदेशक (जन स्वा0) / परिवार कल्याण, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज0 जयपुर।
7. निजी सहायक, वित्तीय सलाहकार, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज0 जयपुर।
8. निजी सहायक, वित्तीय सलाहकार, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन/मुख्य लेखाधिकारी, परिवार कल्याण/मुख्य लेखाधिकारी, आरएचएसडीपी/मुख्य लेखाधिकारी एवं सचिव, भण्डार क्रयण संगठन/वरिष्ठ लेखाधिकारी, आईईसी मुख्यालय।
9. वरिष्ठ लेखाधिकारी (बजट/निरीक्षण) / लेखाधिकारी मुख्यालय।
10. डॉ. एस.के. मोहनपुरिया, भण्डार अधिकारी मुख्यालय (मुख्यालय स्थित वाहन एवं भण्डार सामग्री के निस्तारण बाबत)
11. समस्त सहायक लेखाधिकारी, कार्यालय समस्त संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन.....
12. समस्त सहायक लेखाधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, .....
13. सहायक लेखाधिकारी बजट/आन्तरिक जांच/महालेखाकार मुख्यालय जयपुर।
14. प्रभारी सर्वर रम (मुख्यालय) कृपया इस कार्यवाही विवरण को विभाग की वेब-साईट पर अपलोड करने का श्रम करें।
15. केयर टेकर, कृपया दिनांक 16/09/2011 को प्रातः 11:00 बजे से हॉल आरक्षित करें।
16. रक्षित पत्रावली।

  
 वरिष्ठ लेखाधिकारी (ऑफिट)  
 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर